

21/356
2.3



राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।

क्रमांक एफ-4/मु./याता/लेखा(08)/17/2018

दिनांक: 08.03.2018

कार्यालय-आदेश

निगम बसों में विभिन्न मार्गों पर संचालित मंजिली वाहनों (Stage Carriage) में दैनिक यात्रा (आना-जाना) करने वाले यात्रियों के लिये इस कार्यालय के आदेश क्रमांक एफ-4/मु0/याता/लेखा(08)/2016/275 दिनांक 27.6.2016 से मासिक पास की योजना लागू की गई थी, जिसे आदेश क्रमांक एफ-4/मु./याता/लेखा/(8)17/651 दिनांक 2.3.2017 द्वारा दिनांक 31.3.2018 तक वृद्धिकृत किया गया था।

उक्त मासिक यात्रा पास की योजना को दिनांक 31.3.2018 से वृद्धिकृत कर दिनांक 31 मार्च 2019 तक प्रभावी की जाती है। मासिक यात्रा पास जारी करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया तथा शेष नियम व शर्तें पूर्ववत्/यथावत् रहेगी।

यह आदेश वित्तीय सलाहकार की सहमति तथा माननीय प्रबन्ध निदेशक महोदय की अनुमति से जारी किए जा रहे हैं।

(सू.डी.खान) 8/3/18

कार्यकारी निदेशक (यातायात)

क्रमांक एफ-4/मु./याता/लेखा(08)/17/2018 दिनांक: 8-03-2018

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, राज0परि0निगम, मुख्यालय, जयपुर।
2. समस्त विभागाध्यक्ष,.....राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर।
3. महा प्रबन्धक/संयुक्त/उप महा प्रबन्धक,.....राज.परि.निगम.मुख्यालय.जयपुर।
4. कार्यकारी प्रबंधक (निरीक्षण/याता.) राजस्थान परिवहन निगम. मुख्यालय, जयपुर।
5. उप महा प्रबंधक (आई.टी) रा.प.नि, को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि इस आदेश को निगम वेब साईट पर उपलब्ध कराने एवं सभी संबंधितों को ई-मेल की व्यवस्था सुनिश्चित करें तथा उक्त मासिक यात्रा पास व्यवस्था को दि. 31.3.2019 तक प्रभावी किया जावे।
6. कार्यकारी प्रबन्धक (जनसम्पर्क) राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर।
7. लेखाधिकारी (बजट) राज0 परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर।
8. मुख्य प्रबंधक, राज.परि.निगमआगार को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि मासिक यात्रा पास व्यवस्था का व्यापक प्रचार-प्रसार करें एवं राजस्व वृद्धि हेतु सार्थक प्रयास करें।
9. आदेश पत्रावली।

9
8/3/18
(रिजू जैकब)

कार्यकारी प्रबन्धक(यातायात)